

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक :- ई-33/लै.टे./1149/2018/340 दिनांक 31.05.2018 के क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री जसमत सिंह, लैब टेक्नीशियन जिनकी राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 22.01.2018 को मृत्यु हो जाने के कारण उनका नाम राज्य सेवा से पृथक किया गया था, जिसमें इनका पदस्थापन स्थान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर के स्थान पर धौलपुर पढा जावें।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

EW  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (1149)/2018/356

दिनांक : 06/06/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-भरतपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर/भरतपुर।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
5. संबंधित कर्मचारी के आश्रित श्री दिगम्बर सिंह पुत्र श्री जसमत सिंह निवासी लूलहारा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान, जयपुर।